Criticism of New Import Policy

519. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE :
SHRI MAHENDRA PRASAD :
SHRI SURESH PACHOURI :

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the criticism levelled against the changes made in the new import policy by the Indian Federation of Small and Medium Newspapers ; and

(b) if so, what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI ARANGIL SREEDHARAN) : (a) Yes, Sir.

(b) Criticism made by the Federation basically relates to the restriction imposed in the 1990-93 Policy in respect of import of second-hand printing machinery borne on the OGL List. Considering the instances of misuse of the earlier policy brought to the notice of the Government, it has been decided to allow import of second-hand machinery including printing machinery appearing in the OGL, against licences only.

World Bank Assistance for the Narmada Project

520. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE :
SHRI MAHENDRA PRASAD :
SHRI SURESH PACHOURI :

Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state :

(a) whether a high level delegation led by the Chairman, Sardar Sarovar Narmada Corporation, recently visited Washington for talks with World Bank officials about the financial assistance for the Narmada Project ; and

(b) if so, what is the outcome of the talks and the terms of agreement signed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI MANUBHAI KOTADIA) : (a) A delegation of Government of Gujarat led by Chairman, Sardar Sarovar Narmada Nigam Limited visited Washington in April, 1990 to hold discussions with World Bank Management and others with a view to clarify the position regarding the issues related to the Sardar Sarovar Project.

(b) The visit was useful as it provided an opportunity to present the factual position regarding various aspects of the project, including R&R and environmental issues and clarify the situation. No agreement was signed of or was intended to be signed during the visit.

एस.ए.एस. परीक्षा में बैठने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये छूट

521. **श्रीमती सत्या बहिन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा ली जाने वाली एस.ए.एस. की परीक्षा में बैठने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों को उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिये अंकों के प्रतिशत इत्यादि में दी जाने वाली छूट का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों को अभी हाल में ली गई परीक्षा में

कोई छूट दी गई थी ; यदि हां तो कितनी ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) जहां तक 1984 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर आधारित एस.ए.एस. की परीक्षा का संबंध है अनुभाग अधिकारी ग्रेड (एस. ओ.जी.) परीक्षा में बैठने के इच्छुक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को दी जाने वाली छूट की सीमा का निर्धारण भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा प्रत्येक परीक्षा के प्रारंभ होने से पूर्व किया जाता है। दिसम्बर, 1980 और उसके बाद आयोजित की गई अनुभाग अधिकारी ग्रेड की परीक्षाओं के लिये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जनजाति के उम्मीदवारों को नीचे दर्शायी गई सीमा तक छूट दी जा रही है:

परीक्षा का भाग	अंक	अभ्युक्ति
(i) अनुभाग अधिकारी ग्रेड परीक्षा भाग –i	20 अंक	ये कुल योग में दिये जाने वाले पास अंकों को ही कवर नहीं करेंगे बल्कि ये प्रत्येक पृथक पेपर में दिये जाने वाले पास अंकों में भी शामिल होंगे जिससे कि इस प्रकार की छूट द्वार कवर किये गये अंकों की कुल संख्या 20 अंकों से अधिक न हों जाय ।
(ii) अनुभाग अधिकारी ग्रेड परीक्षा भाग–ii	25 अंक	ये कुल योग में दिये जाने वाले पास अकों को ही कवर नहीं करेंगे बल्कि ये प्रत्येक पृथक पेपर में दिये जाने वाले पास अंकों में भी शामिल होंगे जिससे कि इस प्रकार की छूट द्वारा कवर किये गये अंकों की कुल संख्या 25 अंकों से अधिक न हो जाये । चूंकि भिन्न-भिन्न शाखाओं जैसे सिविल, लेखा परीक्षा, लेखा, रेलवे वाणिज्यिक आदि के लिये भिन्न-भिन्न पेपर होते हैं और पूर्णांकों में भी विभिन्नता होती है अतः यह छूट इसी आधार पर दी जाती है जैसा कि ऊपर बताया गया है, अर्थात् भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सातों शाखाओं में प्रत्येक शाखा के लिये भाग I परीक्षा के लिए 20 अंक और भाग II परीक्षा के लिये 25 अंक इस बात को ध्यान में रखते हुये छूट को प्रतिशत रूप में निकालना संभव नहीं है ।